हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख हुक्म	
29/08/24	पत्रावली आज पेश हुई। ~~विपक्षी पक्ष के~~ वकील वादी उप०। ~~वकील हाजिर~~ अनुपस्थित। विपक्षीगण के विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को कई समय से तीन बार तीन-तीन आवाज दिलाई गई। बावजूद आवाज दिलाने के विपक्षीगण अनुपस्थित। अतः विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील वादी की पत्रावली पर बहस सुनी गई। नक्शा मौका के लिए जाकर नक्शा मूल न्यायालय भेजा गया। नक्शा की पालनार्थ तहरीर जारी है। पालना प्राप्त होने पर आगामी पत्रावली पेश की जावे। पत्रावली निर्णय हेतु नियत होकर दाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी, गुढ़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

.करण संख्या : 110 / 2023

प्रार्थीगण :–

1. मगाराम पुत्र भगाराम
   जाति जाट निवासी हुड्डासर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. उरजा पुत्र देवा
2. कुम्भाराम पुत्र ईशराराम
3. गंगादेवी पत्नी कानाराम
4. चेतनराम पुत्र चिमाराम
5. चूनाराम पुत्र प्रहलादराम
6. चम्पा पुत्र प्रहलादराम
7. दूदाराम पुत्र कानाराम
8. धनाराम पुत्र चिमाराम (नाबालिग की वली माता भंवरीदेवी)
9. प्रभुराम पुत्र प्रहलादराम
10. पूराराम पुत्र दमाराम
11. भीयाराम पुत्र ईशराराम
12. मोहनराम पुत्र ईशराराम
13. रेखाराम पुत्र कानाराम
14. रूपाराम पुत्र दमाराम
15. हरजीराम पुत्र कानाराम
    जाति प्रजापत निवासी रोली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
16. चिमनाराम पुत्र वागाराम
17. मेहराराम पुत्र वागाराम
18. वीरमाराम पुत्र चेनाराम
19. शेंभूराम पुत्र चेनाराम
    जाति जाट निवासी रोली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
20. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. **श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 29.08.2023

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2078 (वर्ष 2021) से रथाई सरहद मौजा रोली पटवार क्षेत्र बांटा तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 241 / 69 रकबा 0.7805 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि मौजा रोली पटवार क्षेत्र बांटा तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 241/69 रकबा 0.7805 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु **भू–अभिलेख निरीक्षक पीपराली** को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 29/8/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

क्र: वाद / 2023 / 1044 दिनांक : 31/8/23

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

मगाराम **उरजा वगैरा**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

निर्णय दिनांक :– **29.08.2023**

राजस्व आवेदन सं......110 / 2023..

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम **रोली** के खेत खसरा नम्बर 241 / 69 रकबा 0. 7805 हैक्टेयर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु **भू–अभिलेख निरीक्षक पीपराली**.....को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींश रूपये ....**500 / –**...प्रार्थीगण अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी
दिनांक : 31/8/23

क्रमांक: वाद / 2023 / 1045-46
प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. थानाधिकारी..........गुड़ामालानी
3. भू–अभिलेख निरीक्षक **पीपराली**।
4. हल्का पटवारी....**बांटा.** को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
5. प्रार्थीगण.........**मगाराम पुत्र भगाराम**
6. विप्रार्थीगण.........**उरजा वगैरा....**

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी